

छत्तीसगढ़ के कोरवा जनजाति की जनसंख्या एवं सामाजिक व्यवस्था

डॉ. पी.एल. चन्द्राकर

सहा. प्राध्यापक भूगोल विभाग
सी.एम.दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

शोध सारांश :

कोरवा छ.ग. के पूर्वोत्तर स्थित सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, ज"पुर, बलरामपुर, जिलों के पठारों और सघन वनों में निवास करने वाली अत्यन्त पिछड़ी और गरीब जनजाति हैं। 2011 की जनगणनानुसार छ.ग. में इनकी कुल जनसंख्या 129429 थी में से लगभग 98 प्रति"त सरगुजा, रायगढ़, बलरामपुर, ज"पुर और कोरबा जिला में निवासित थी। कोरवा आज भी आखेटक, संग्राहक और चल खेती (बेवरा) से अपनी जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं। परम्परागत रूप से कोरवा जनजाति स्थायी निवास और स्थायी खेती को पसन्द नहीं करते किन्तु तात्कालीन रियासतों के प्रयास से 19वीं शताब्दी के मध्य से इन्हें मैदानों में निवास करने एवं स्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तब से धीरे-धीरे लगभग एक तिहाई कोरवा जनजाति के लोग मैदानों और घाटियों में अन्य सामाजिक वर्गों के साथ मिल-जुलकर रहने लगे। इन्हें डिहारी कोरवा (मैदानी कोरवा) कहते हैं और जो पठारी क्षेत्रों में ही रहना पसन्द किये उन्हें पहाड़ी कोरवा कहा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र :

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य पूर्व में 21° 53' उत्तरी अक्षांस से 24° 8' उत्तरी अक्षां"त तथा 82° 41' पूर्वी दे"गान्तर एवं 84° 24' पूर्वी दे"गान्तर के बीच विस्तृत है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 28667 वर्ग कि.मी. है तथा 2011 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 25,545,198 थी जिसमें से 12.81 प्रति"त जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं 30.62 प्रति"त जनसंख्या अनुसूचित जनजातियां थी। राज्य प्र"ासकीय आधार पर 33 जिलों में विभाजित है। प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों में अधिसंख्यक जनजातियां निवास करती है। इसके अलावा प्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ी एवं उच्च भागों में भी जनजातियां निवास करती है तथा मध्यवर्ती मैदानी भाग में अपेक्षाकृत कम संख्या में पायी जाती है। राज्य सरकार जनजातियों के वि"ेष विकास हेतु सरगुजा एवं बस्तर जनजातीय विकास प्राधीकरण का गठन किया है।

अध्ययन प्रविधि:

प्रस्तुत शोध पत्र कोरवा जनजातियों पर प्रका"ित एवं अप्रका"ित पुस्तक, शोधग्रंथ, शोध पत्र एवं जनगणना विभाग द्वारा प्रका"ित (1961-2001) जनगणना पुस्तिका आदि के द्वितीयक आँकड़ों एवं इन जनजातियों के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। अध्ययन में जनसंख्या वृद्धिदर प्रचलित गणितीय विधियों द्वारा ज्ञात की गई है। अध्ययन को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने हेतु मानचित्र एवं सारणी का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या :

कोरवा प्रदेश की एक वि"ेष पिछड़ी जनजाति है। सन् 1981 में इनकी जनसंख्या घटी थी इसलिए सरकार ने इनका परिवार नियोजन प्रतिबंधित किया था। सन् 2001 से 2011 के द"ाक में 26.84 प्रति"त इनकी जनसंख्या वृद्धि हुई थी। इनकी कुल जनसंख्या की लगभग 35 प्रति"त लोक साक्षर हैं। सन् 2011 के जनगणना के अनुसार कोरवा जनजाति की प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रीयों की संख्या 995 थी।

सारणी : 1

छत्तीसगढ़ : कोरवा जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर, 1961-2011

क्रं.	द"ाक	जनसंख्या	वृद्धिदर % में
1	1961	42863	..
2	1971	67333	57.08
3	1981	15320	-77.24
4	1991	84146	449.25
5	2001	102035	21.26
6	2011	129429	26.84

स्रोत: जनगणना पुस्तिका, 1961-2011

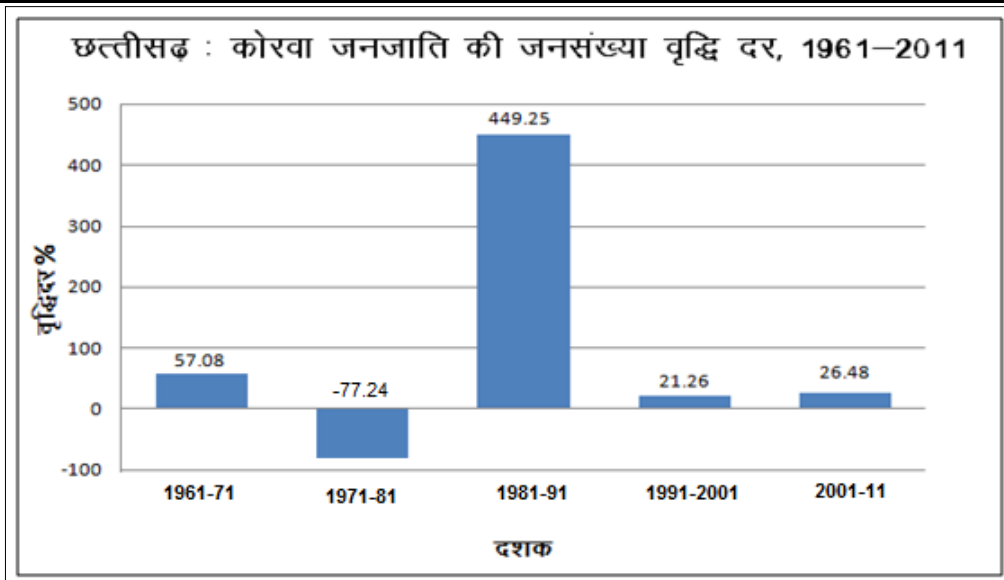
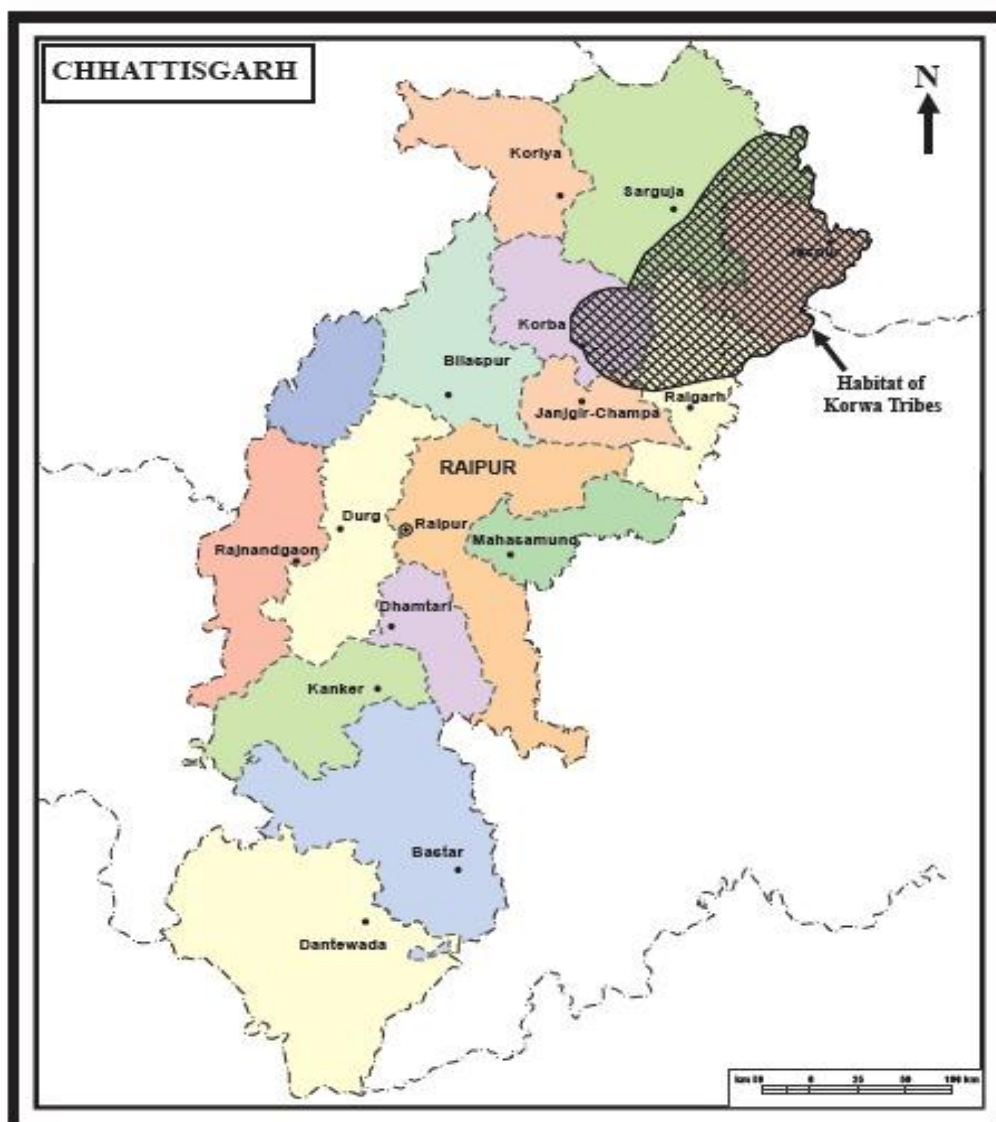


Fig. no. 1



Map no. 1

सामाजिक व्यवस्था :**परिवार :**

कोरवा परिवार एक पितृ-सत्तात्मक परिवार है। इनके एक परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित सन्तानें रहते हैं। ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं जो दूसरे परिवार से दूर एक अलग मकान में निवास करता है।

किन्तु सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सगे भाई, गोत्र और कुटुम्ब के लोग आपस में मिलजुल कर कार्य सम्पादित करते हैं। पिता की सम्पत्ति पर मृत्यु के पश्चात् भाईयों में बराबर का बंटवारा होता है। पुत्र नहीं होने पर पिता की सम्पत्ति पुत्री को मिलती है। इनमें गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित है। कोरवा जनजाति के अनाथ व निराश्रित रिश्तेदार तथा कुटुम्ब के भारण-पोषण में ये विधि रुचि लेते हैं।

गोत्र :

कोरवा जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है जैसे समाठ, हसदा, एडिगवार, गिनुम, सोनवानी, बान्डा, मुढियार आदि। यहां के अन्य जनजातियों के ही समान कोरवा जनजाति के गोत्र का एक गण-चिन्ह (टोटम) होता है जो किसी वस्तु जानवर या पौधे से संबंधित होता है। अपने टोटम के प्रति इनमें विधि श्रद्धा होती है। क्योंकि टोटम से इनकी पहचान एवं इनमें भावनात्मक एकता बनती है।

पंचायत :

कोरवा जनजाति की अपनी अलग जातीय पंचायत होती है जिसे "मैयारी" कहते हैं। मैयारी का विधि महत्व है और इसके निर्णय सर्वमान्य होता है। पंचायत का प्रमुख कार्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण है। पंचायत में मुखिया जिसे ये बैगा कहते हैं प्रधान होता है। पदानुक्रम में देवार दूसरे स्थान पर होता है। जिसे उप प्रधान कहते हैं। तीसरे पद के पदाधिकारी ज्ञाकर होता है जो पंचायत से संबंधित सन्देशों को प्रसारित करता है। यद्यपि कोरवा पंचायत में पदाधिकार का पद वंशानुगत होता है— तथापि कोरवा पंचायत में पदाधिकारी या उसके उत्तराधिकारी के अयोग्य होने पर दूसरे योग्य व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जा सकता है।

विवाह संस्कार :

कोरवा समाज में विवाह एक सामाजिक बंधन है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। जीवन साथी के चुनाव में वर एवं कन्या की पसन्द प्रथम महत्व की, माता और पिता का पसन्द द्वितीय महत्व की और जाति एवं पंचायत का स्थान तृतीय महत्व का होता है। इनमें 18 वर्ष की आयु में विवाह संस्कार कर देने की परम्परा है। कन्या सामान्यतः वर से आयु में छोटी होती है।

इनमें वधूमूल्य का प्रचलन है और वधूमूल्य में सामान्यतः एक खंडी बाजार (लगभग 55 कि.ग्रा.) एक खंडी चावल (लगभग 10 कि.ग्रा.) 10 तामी (लगभग 20 कि.ग्रा.) अन्य अनाज 2 हण्डी हांडिया (कोतना) तेल, हल्दी, नारियल, सुपारी, मुर्गा, बकरा, साड़ी आदि वधु के पिता को दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के अन्य जनजातियों की भांति कोरवा जनजाति में भी विवाह की कई पद्धतियां अपनाई जाती है। 1. मंगनी या पद विवाह, 2. ठुकु विवाह, 3. मिलाफसी या प्रेमविवाह 4. घर जिया विवाह। इसके अतिरिक्त इनमें विधवा विवाह और बहुविवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह को ये सगाई नाम देते हैं।

एक सम्पन्न कोरवा कई पत्नियों एवं रख सकता है और उनके लिए अपने मकान में अलग-अलग रहने का व्यवस्था करता है।

जन्म संस्कार :

कोरवा जनजाति में स्त्री का गर्भावस्था में आना विधि महत्व का सूचक है। इनमें गर्भवती महिला को कई रूढ़िगत विधियों से सुरक्षित रखा जाता है जिसे एक गर्भवती महिला हाथी व घोड़ा के पास नहीं जा सकती, नदी पार नहीं कर सकती, खेत को हरई पार नहीं कर सकती। इनमें गर्भवती महिला को झरने का पानी पीलाने से सहज प्रसव का रूढ़ि विवाह भी प्रचलित है। कोरवा समाज में प्रसव घर पर ही सम्पन्न होता है जिसे कुसराईन (Mid Wife) के समान जानकार महिला द्वारा कराया जाता है। प्रवाह अधिक कष्ट प्रद होने पर झाड़-फूंक एवं जड़ी-बूटी से उपचार किया जाता है। विधि जन्म के पश्चात् बच्चे की नाड़े काटने और उसके उपचार में स्थानीय जड़ी-बूटी का उपयोग किया जाता है तत्पश्चात् कुसराईन जच्चा और बच्चा को गरम पानी से पहलाती है। जच्चा को नमक और हल्दी मिला दाल का पसिया पीने हेतु दिया जाता है। यह क्रम पांच दिन तक चलता है। छठवें दिन जच्चा को भोजन दिया जाता है। जन्म के दिन ही बच्चे की कलाई पर उसकी मां के सिर के दो-तीन के निकालकर बांधे जाते हैं जो किसी की बुरी नजर से सुरक्षा प्रदान करता है। कोरवा जनजाति में छुआछूत के विवास के आधार पर जच्चा को बरही संस्कार तक देव स्थान व रसोई जैसे पवित्र स्थान से अलग रखा जाता है। प्रसव के दौरान प्रसूता को कुलीदुरा एक अलग घर में रहना होता है अथवा दीवार के एक छोटे से छेद से आना-जाना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार से आना-जाना वर्जित रहता है।

छठी एवं बरही संस्कार :

कोरवा समाज में '१'१'१' जन्म के छठे दिन छठी संस्कार मनाते हैं जिसमें अपने मोहल्ले के निवासियों और रि'तेदारों को आमंत्रित करते हैं। घर की साफ-सफाई की जाती है। नवजात '१'१'१' के नख नाई द्वारा काटे जाते हैं और कुसराईन जच्चा-बच्चा को स्नात कराती है। धोबीन बच्चा के कपड़े धोने को ले जाती है। बैगा बच्चे के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए देवी-देवताओं की अर्चना करता है जिसमें मूर्गा अथवा बकरे की बलि दी जाती है। अतिथियों की हांडियां पेय और सामीक्ष भोजन से स्वागत की जाती है। प्रसव संबंधी कार्यक्रमों में सेवा करने वाले सेवकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। कोरवा समाज में लड़का एवं लड़की दोनों के जन्म को समान महत्व मिलता है। डिहारी कोरवा में छठी के बारहवें दिन और पहाड़ी कोरवा में अठारहवें दिन बरही संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में जच्चा से गृह एवं ग्राम देवी देवता की पूजा एवं टुआ टोटका कराया जाता है। इसी के बाद वह स्त्री पवित्र मानी जाती है और रसोई या देव स्थान में प्रवे'ग कर सकती है।

नामकरण संस्कार :

कोरवा जनजाति में भी बच्चे के नामकरण का उत्सव होता है। इसमें रि"तेदार और बैगा सहभागी होते हैं। बच्चे के नामकरण में बच्चे के जन्म समय और दिन, माह जन्म के स्थान और पूर्वजों के नाम आदि पर नामकरण किया जाता है। जैसे दिन के पहर पर आधारित भिनसारों, साझो, दिन के नाम पर सोमारसाय, सोमारी, माह के आधार पर कार्तिक, अघनू जन्म स्थान के आधार पर बनैली आदि। नामकरण संस्कार डिहारी कोरवा में छठी के दिन ही कर दिया जाता है जबकि पहाड़ी कोरवा में यह संस्कार अन्नप्रासन के दिन होता है।

मृत्यु संस्कार :

कोरवा जनजाति में मृत्यु संस्कार हिन्दु समाज से प्रभावित लगता है। मृतक को परिवार के सदस्य गांव के लोग और रिस्तेदार अर्थाँ रूप में शम"ान ले जाते हैं जहां एक गहरा गड्ढा 6X3 खोदते हैं जो उत्तर-दक्षिण में होता है इसी गड्ढे में शव के सिर को उत्तर और पैर को दक्षिण दि"ा में रखकर दफना दिया जाता है। शव यात्रा में सम्मिलित सभी व्यक्ति स्नानकर एक पंक्ति बनाकर मृतक के घर वापस जाते हैं। पंक्ति के अग्रिम व्यक्ति एक पत्थर का टुकड़ा अपने पीछे के व्यक्ति को देता है। यह क्रम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक चलता है और वह अंतिम व्यक्ति पत्थर के टुकड़े को दूर फेंक देता है। शव यात्रा के सदस्य मृतक के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां उन्हें हल्दी आवला नमक व मिर्च मिला पानी दिया जाता है। जिसे वे अपने शरीर में छिड़कते हैं। इसके बाद वे घर में प्रवे"ा कर सकते हैं।

हिन्दु समाज के समान कोरवा लोगों में भी दसगात्र संस्कार होता है। मृतक-पुरुष का दसगात्र दसवें दिन, मृतक स्त्री का नवें दिन और बारह वर्ष से कम उम्र के मृत बच्चे का सातवें दिन किया जाता है। इस दिन का संस्कार बैगा द्वारा कराया जाता है। बैगा मृतक के नाम पर चार मुर्गों को चावल चुगाता है और साथ में यह कहता जाता है कि हे मृतक इस घर से काल को लेकर जल्दी चले जाओ जिससे घर में सुख और शांति बनी रहे। मृतक के अंतिम क्रिया कर्म के दिन उसके परिवार और गोत्र के सभी व्यक्ति मुंडन कराते हैं। फिर स्नान करते हैं। और पंक्ति बद्ध होकर मृतक के घर वापस आते हैं। इस संस्कार में महिलायें भी साथ होती हैं पहाड़ी कोरवा समाज में पति के मृत्यु के दिन ही उसकी पत्नी अपनी चूड़ी तोड़ती है जबकि दिहाड़ी कोरवा समाज में अंतिम क्रिया कर्म के दिन तोड़ती है। अंतिम क्रियाकर्म में सम्मिलित सभी व्यक्ति मृत्यु भोज करते हैं और हांडिया पीते हैं। मृत भोज सबसे पहले कुवारे लड़के और लड़की से प्रारम्भ होता है। इसके बाद पुरुष और फिर महिलायें भोजन प्राप्त करती हैं।

वस्त्र आभूषण और अंग आलेखन :

कोरवा जनजाति में वस्त्र आभूषण और अंग आलेखन की एक विविध परम्परा है। पुरुष कमर से घुटने तक एक अंगोछी या लंगोटी धारण करते हैं। जबकि स्त्रियाँ एक लुगड़ा (साड़ी) लपेटती हैं। बच्चे प्रायः नग्न अवस्था में देखे जाते हैं। इसके अलावा कई नवयुवक चड्डी बनियान, कमीज, लुंगी धारण करते हैं।

कोरवा लोग आभूषण प्रिय होते हैं। पुरुष गले में मुंगा माला, मोती माला, कलाई में चूड़ा और कड़ा और हाथ के अंगुलियों में मुन्दरी (अंगूठी) पहनते हैं। स्त्रियाँ अपने शरीर को अनेक आभूषणों से सजाते हैं। जैसे कान में बालियां व बारी, नाक में फूली, गले में हंसली, मुंगामाला, कलाई में चुड़ी, चूरा व पट्टा हाथ में उंगलियों में अंगूठी कमर में करधन तथा पैरों के अंगुलियों में चुटकी, बिछिया पहनी रहती है। इनकी आभूषण सस्ती धातुओं जैसे पीतल, लोहा, गिलट, तांबा, "पी" आदि के होते हैं। कुछ महिलायें चांदी के जेवर भी धारण करती हैं।

कोरवा लोगों में अंग-आलेखन (गोदना) का वि० महत्व है। पुरुष अंग आलेख को द्राहा कहते हैं। द्राहा क्रिया लड़कों के हाथों पर लगभग पांच वर्ष के उम्र में की जाती है। कोरवा महिलाओं में तो शरीर के उन सम्पूर्ण अंगों पर अंग आलेखन होता है। जहां-जहां वे आभूषण धारण कर सकती हैं। जैसे दोनों कलाईयों, दोनों बांहों, गले में कुछ निचाई तक और पैरों पर अंग-लेखन किया जाता है। अंग-आलेखन में फूलों-पत्तियों, जीव-जन्तुओं, सूरज, चांद, तारे आदि के आकार बनवाये जाते हैं।

देवी-देवता :

कोरवा जनजाति की धर्म सम्बन्धी मान्यताएं हिन्दू धर्म से प्रभावित है। उनके प्रमुख देवी देवता महादेव-पार्वती, पितृ देव, खुरिया रानी हैं। इसके अलावा वे पच्छिमा देव, श्रंगिर देव, ठाकुर देव, सूर्य, धरती, वायु, जल, पहाड़ आदि को भी मानते हैं। अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी भूत-प्रेत व जादू-टोना पर वि"वास किया जाता है।

पर्व उत्सव :

कोरवा लोग हिन्दू धर्म के प्रायः सभी बड़े पर्वों और त्योहारों को मानते हैं। दीपावली, होली आदि पर्व इनके द्वारा परम्परागत ढंग से मनाये जाते हैं। किन्तु फिर भी इनके अपने पर्व भी हैं। जिसका सम्बन्ध उनकी परम्परागत धार्मिक मान्यताओं तथा कृषि कार्यों से है। ऐसे त्योहारों में नवाखानी, करमा, बीज बोनी, हरियाली आदि प्रमुख हैं। इनमें नवाखानी एवं करमा कोरवा का सबसे प्रमुख पर्व है जिसमें ये लोग खुब आमिष व हण्डियां का सेवन करते हैं और नृत्यगान करते हैं।

कोरवा जनजाति की सामाजिक संरचना और संस्कृति छत्तीसगढ़ के हिन्दू बहुल की समाज और संस्कृति से बहुत मिलती-जुलती है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ प्रदेश और छोटा नागपुर प्रदेश के संगम क्षेत्र स्थित पहाड़ियों, पठारों और सघन वनों में सदियों से निवास करती रही है। विहड़ और अगम्य क्षेत्रों में निवासित इस आदिम जनजाति का समाज और इसके संस्कार किस प्रकार छत्तीसगढ़ के हिन्दू बहुल समाज के समान बने यह आश्चर्यजनक है। इनके सामाजिक संरचना में पितृ-सत्तात्मक, परिवार, क्षेत्र, कुटुम्ब, पंचायतें, जन्म और मृत्यु संस्कार छत्तीसगढ़ के समाज और संस्कृति से मिलते जुलते हैं। ग्राम्य देवता, पितर देवता, महादेव-पार्वती जैसे देवी-देवताओं की पूजा अर्चना के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में व्याप्त टोना-टोटका जैसे रूढ़ियों को ये मानते हैं।

निष्कर्ष :

छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के निरंतर प्रयास से पिछड़ी जनजाति कोरवा विकास के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। शासकिय आवास योजना का लाभ उठाकर अब ये लोग स्थायी पक्के मकान में रहने लगे हैं। तथा स्थायी कृषि की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इनको शिकार एवं जंगली जड़ी-बुटियों का गहरा ज्ञान होता है। किन्तु उद्यमी मानसिकता के अभाव में ये लोग उन परम्परागत ज्ञान का उचित लाभ अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिलासपुर जिला के बैगा जनजाति को तिरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है वैसे इनको भी प्रशिक्षित कर तिरंदाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के कारण इनकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। किन्तु संरक्षित जनजाति होने के कारण इनका परिवार नियोजन प्रतिबंधित है। प्रचलित अंधवि"वास एवं मद्यपान इनकी सामाजिक समरसता एवं आर्थिक विकास में बड़े बाधक हैं। ये लोग आज भी घर के किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर उस घर को जला देते हैं तथा महिलाओं को प्रसव के दौरान अलग घर में या कुलीदुरा से प्रवेश कराते हैं। यह जनजाति महान श्रमिक, साहसी और नृत्य प्रेमी होता है। इनको विशेष प्रयास करके विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. Elwin Verrier (1939) : The Baiga John Marry London.
2. Grigsen, Wilfrid (1949): The Maria Gonds of Bastar London Oxford University Press.
3. Elwin Verrier (1947): The Muria and their Ghotul London Oxford University Press
4. Kurup A. M. (1961): Social Life of the Abujhmadias Bulletin of the Tribal Research Institute (Chhindwara) Vol. 1 No , Pg. 26-31.
5. Sinha Rakesh Ranju (1967): The Socio-economic and religious life of Korwas of Madhya Pradesh Vanyajati Vol. xv No 1 PP 3235.
6. Dolton E.T. (1960):Korwas descriptive ethnology of Bengal Calcutta
7. Dube S.C. (1951): The Kamar Lucknow (U.P.) Universal Publishers
8. Tiwari D.N. (1984): Primitive Tribes of Madhya Pradesh Govt. India Press Faridabad.
9. Russel R. N. Hira Lal (1993): The tribes and Custes of the Central Provinces of India.
10. तिवारी एस. के. शर्मा श्री कमल (1994): मध्यप्रदेश की जनजातियाँ समाज एवं व्यवस्था म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
11. तिवारी विजय कुमार (2001): छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई
12. त्रिपाठी कौशलेन्द्र चन्द्राकर पुरुषोत्तम (2012): छत्तीसगढ़ एटलस एस शारदा पब्लिकेशन, बिलासपुर (छ.ग.)
13. Census of India (1961-2011): District Census Hand Books and Chhattisgarh Series.
14. निरगुणे बसन्त (2004): आदिवासी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ महावीर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्दौर (म.प्र.)
15. हसनैन नदीम (1997): जनजातीय भारत जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली।